A.R.G/2727/97
10/11/97

XXX-Part.—21

रूप क्रमांक २
(देखिए नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक ग्वा० सं० 4886

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्यास्तीक एज्यूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी समिति जो दीनदयाल नगर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४) के अधीन 10-11-1997 को पंजीयित की गई है।

दिनांक दस माह नवम्बर सन् १९९७

समितियों के रजिस्ट्रार
(हस्ता०)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं
ग्वालियर

GRPRJ—PS/24—8/95—10,000.

Uto 1629
23/7/19

संशोधित

प्रारूप कमांक -1
समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन-पत्र
(देखिये नियम 3)

(1) संस्था का नाम : स्वास्तीक एज्यूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी

पंजीयन क्रमांक 4886
पंजीयन दिनांक 10/11/97
नवीनीकरण दिनांक 13/4/07

(2) संस्था का कार्यालय : दीनदयाल नगर ग्वालियर म.प्र.

(3) संस्था के उददेश्य निम्नानुसार होंगे :-

1. शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करना तथा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, माध्यमों से क्षेत्रीय भाषा एवं बोली देने हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल ,उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो, मदरसा एवं महाविद्यालयों का संचालन करना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालयों का संचालन करना । औपचारिक शिक्षा केन्द्र, प्रौढ शिक्षा केन्द्र एवं प्रौढ महिलाओं हेतु शिक्षा केन्द्र व पत्राचार केन्द्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिये अनुसूचित जाति बालक कन्या आश्रम, आवासीय विद्यालयों एवं कोचिंग कक्षाओं का संचालन करना एवं साक्षरता का प्रचार एवं प्रसार करना ।

2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश से एवं शासन, विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कर शिक्षक प्रशिक्षण, नर्स प्रशिक्षण व्यवसायिक शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन करना ।

3. पीडित प्रताडित विधवा , निराश्रित विकलांग असहाय जरूरतमंद परित्यक्ता, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झुग्गी-झुपडीवासी, पर्वतीय क्षेत्र के निवासी, गन्दीबस्ती के निवासी अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक तथा जरूरतमंद महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना व सिलाई, कढाई बुनाई, टाइपिंग, कम्प्यूटर, ब्यूटीपार्लर, पेन्टिग, संगीत, हस्ताशिल्प व व्यासायिक प्रशिक्षण एवं झूलाघर, आंगनबाडी, बालबाडी, केश, बाल विकास केन्द्र, शिशु रक्षा केन्द्र, स्नेह कुटीर, बाल आश्रम, अनाथालय, बाल सम्प्रेषण ग्रह का संचालन करना । बच्चों को पोषण आहार की व्यवस्था करना ।

4. अंधे, लगडे, लूले, बहरे, मूक बधिर शारीरिक रूप से विकलांगो व नेत्रहीन एवं शारीरिक रूप से कमजोर निराश्रित, अनाथ, के लिये शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करना व पंचायत एवं समाज सेवा के अन्तर्गत कार्य करना एवं नशा मुक्ति हेतु प्रचार प्रसार करना, परामर्श केन्द्र खोलना एवं वृध्दआश्रम संचालित करना केयर यूनित व ड्रग्स से पीडित व्यक्तियों को चिकित्सा एवं सलाह देना व बढती हुई नशा प्रवृति की रोक थाम हेतु कार्य करना व समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिये कलागंडी के माध्यम से सास्कृतिक कार्यकमों का आयोजन करना एवं उनका संचालन करना ।

5. आयुर्वेदिक औषधि जडी बूटियों का संरक्षण करने हेतु मार्गदर्शन करना ।

6. ग्राम स्वराज एवं पंचायतराज की भावना के अनुकूल ग्राम उत्थान के लिये कार्य करना एवं ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण, व लोक कल्याणकारी कार्यकमों का संचालन करना एवं महिला जागृति शिविर का आयोजन करना एवं उनका संचालन करना ।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

7. पर्यावरण एवं प्रदूषण के रोकथाम के कार्य करना, बढते हुये जल प्रदूषण एवं वायु प्रदुषण तथा ध्वनि प्रदुषण की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करना व कार्यशाला का आयोजन करना एवं इसकी रोकथाम हेतु, विशेष प्रशिक्षण देना ।

8. ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना तथा कलाकृतियों को बढावा देना।

9. स्वास्थ्य केन्द्र खोलना, परिवार नियोजन तथा परामर्श केन्द्र, महिला बाल स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना।

10. राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिये प्रतियोगिताऐं तथा नाटक काव्य गोष्ठियों का आयोजन करना ।

11. सामाजिक बुराईयों को मिटाने का प्रयास करना तथा समाज में एकरूपता लाना ।

12. कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर एवं टेक्निकल, प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना ।

13. वृद्धा आश्रम केन्द्रों का संचालन करना, शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना ।

14. वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करना तथा इस हेतु प्रशिक्षण देना ।

15. अनाथ एवं निराश्रित बालकों के लिए अनाथालय की स्थापना तथा उनके लिये स्नेह कुटीर केन्द्र खोलना एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बाल महिलाओं के लिए आश्रम एवं छात्रावास विधालय एवं कोचिंग तथा प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन करना ।

16. युवाओं में बढती हुई खेल प्रतिभावों को आगे लाने के लिये क्रिकेट, बॉलीवॉल, हॉकी, टेविल–टेनिस, कैरम बोर्ड, शतरंज, एवं विभिन्न एथलेटिक्स एवं सभी खेलो का शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना तथा विभिन्न खेलों का आयोजन करना, शिविरो का, प्रतियोगिताओं का एवं प्रतिभावान खिलाडियों को पुरूस्कृत एवं सम्मानित करना ।

17. सामाजिक कुरीतियों (दहेज प्रथा, नशाखोरी, वैशयावृति, छूआ–छूत इत्यादि) के विरूद्ध जन जागरण करना एड्स के बढते कुप्रभाव के प्रति लोंगों को जागरूक करना व एड्स के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना।

18. विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रशिक्षण एवं सेमीनार तथा विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना ।

19. व्यावसायिक महाविद्यालयों का संचालन करना–बी.बी.ए. , बी एड., एम एड, बी. सी. ए. (इलेक्टोनिक्स एवं कम्प्यूटर आदि आधुनिक विषयों के साथ (बी.ए. गणित इलेक्ट्रोनिक एवं कम्प्यूटर आदि विषयों के साथ (बी.कॉम) वाणिज्यिक के साथ पर्यटन के विषयों को लेकर, पर्यटन एवं पर्यावरण विषयों पर डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्ससों को चलाना, एम. बी. ए. डिग्री कोर्स, एम. बी. ए. (मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनोमिक्स) पोलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अन्य आधुनिक व्यावसायिक डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्सेज, चिकित्सा महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा के कोर्सो को संचालित करना ।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

रा. विधान क्रमांक 4886
दिनांक 10/11/97
संशोधन दिनांक 13/5/07

20. होटल-ट्रैवलर्स मैनेजमेन्ट का व्यावसायिक प्रशिक्षण देना ।

21. नि:सहाय वर्ग जनजातीय बालक एवं बालिकाओं के लिये आश्रम , स्कूल, छात्रावास बालबाडी झूलाघर केन्द्र , व्यवसायिक प्रशिक्षण, व्यायाम शाला , खेल कूद , आदि के कार्य सम्पादित करना ।

22. सोसायटी द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना एवं विकास से सम्बधित विभिन्न मुददों पर जागरुकता एवं शिक्षा वृध्दि हेतु न्यूजलेटर्स, लीफलेट्स, पम्पलेट्स जर्नल्स एवं अन्य पाठ्य सामग्री प्रकाशित करना ।

23. ग्रामीण विकास प्रोढ शिक्षा एवं कृषि विस्तार सम्बधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये प्रशिक्षण केन्द्रो एवं शिक्षा केन्द्रो का सचालन करना एव सामान्य, हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लिए छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा देना समाज के सर्वोन्मुखी विकास हेतु विभिन्न विद्यालय एवं छात्रावास खोलना । एवं गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु लोगो को फलदार वृक्ष लगाने हेतु सहायता एवं सलाह प्रदान करना एवं इस हेतु योजनायें संचालित करना ।

24. कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन एवं शासकीय अनुदान प्राप्त कर योजनानुसार कार्य करना, गोशाला का निर्माण एवं आवार पशुओं का रखरखाव कर संचालन करना ।

25. प्राकृतिक अपदाओं के समय पर नि:शुल्क चिकित्सा सुविधायें तथा चिकित्सा शिविरो का आयोजन करना तथा पीडितों के पुनर्वास की व्यवस्था करना। तथा समाज में व्याप्त घातक बीमारियों जैसे एड्स, कैंसर, पोलियों, टी.बी , के रोकथाम हेतु जानकारी प्रदान करना ।

26. कम्प्यूटर शिक्षण प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर डेस्कटोप पब्लिसिंग ऑपरेटर डेस्कटोप ऑपरेटर डाटाप्रिपरेशन एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देना । कम्प्यूटर के डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्सो का संचालन करना कम्प्यूटर ट्रेनिंग हेतु शासकीय विभागों व शासन से मान्यता करना एवं विश्वविधालय बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करना ।

27. जल एवं स्वच्छता व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं के लिये समुदाय से शुल्क लेना मलिन बस्तु विकास हेतु संचालित योजनाओं के कियान्वयन में सहयोग करना तथा इनके कियान्वयन हेतु शासन से आर्थिक सहयोग लेना ।

28. कृषकों को कृषि कॉलेज अनुसंधान केन्द्र पायलेट प्रोजेक्ट ,प्रगतिशील कृषकों को परियोजनाओं का भ्रमण कराना ग्रामीण क्षेत्र में पौध संरक्षण नर्सरी का निर्माण एवं उससे संबंधित तकनीकी जानकारी के लिये शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना । एवं बागवानी के क्षेत्र में इच्छुक व्यक्तियों और संस्थाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना । पौधौ की नई नई किस्में तैयार करना तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने को प्रोत्साहन देना ।

29. उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय का संचालन करना तथा विधि शिक्षा, व्यवसायिक उच्च शिक्षा , बी. एड., एम. एड. बी. फार्मा, डी फार्मा, बी. पी. एड. डेन्टल कॉलेज आयुर्वेदिक वेटनरी, होम्योपैथिक फार्मेसी एवं नर्सिंग कॉलेजो की स्थापना करना एवं संचालित करना । कला एवं वाणिज्य एवं मेनेजमेंन्ट में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कोर्सो का संचालन करना एवं फिजीकल उच्च शिक्षा, संगीत शिक्षा , तथा पुस्तकालय की शिक्षा देना । एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संचालन करना ।

	M. Singh	
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

30. नगर निगम के कार्यो का मूल्यांकन एवं निगरानी मलिन बस्तियों के विकास विभिन्न गतिविधियों जैसे शिक्षा स्वास्थ्य रैली प्रदर्शनी निर्माण कार्य स्थानीय लोगो में जागरुकता लाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जिससे वे अपनी सुविधाओं का लाभ उठा सके सामुदायिक प्रबंध द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ समुदाय का निर्माण करना ।

32. समय समय पर कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन हेतु राष्ट्रीय महिला कोष एस. आई. डी. बी. आई. एन. ए. बी. ए. आर. डी. बैंक आदि से ऋण लेकर कार्यक्रमों का संचालन करना तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वसहायता समूह का गठन करने हेतु ऋण देकर समूह का संचालन करना ।

33. कपार्ट योजना अन्तर्गतग्रामीण क्षेत्र में ग्राम वासियों के कल्याणार्थ एवं हितार्थ विविध प्रकार की योजनाओं का निर्माण कर उन्हें चालू करना एवं नौराट योजनाओं के अंतर्गत निर्माण सह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना ।

34. नशामुक्ति परामर्श केन्द्र केयर यूनिट ,ड्रग पीडित व्यक्तियों को चिकित्सीय परामर्श केन्द्र एड्स की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार तथा समाज में व्याप्त अन्य बुराईयों को प्रचार प्रसार के माध्यम से दूर करना ।

35. सूखा एवं बाढ आपदा प्रबर्धन हेतु सहयोग करना एवं नेत्र शिविर लैंस प्रत्यारोपण प्रसूति एवं चलित क्षयरोग बुराई एड्स एवं कुष्ठरोग पल्स पोलियो मानसिक बिकलांग निदान हेतु शिविर लगाना एवं नीतियों को संचालित करना ।

M. Singh

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष